

1-24

पत्रावली पेश हुई. उभयपक्ष उपस्थित, तहसीलदार
माडल से मौका बिपट प्राप्त हुई जिसे आठपठ
किया गया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी।
बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र




में अंकित लथ्यो, दस्तावेजो के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने की बर्तुदाकी।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील प्रार्थी की बहस पर मन्मन किया। विवादित आराजियात ग्राम आवलास पटवार हल्का आवलास तहसील माण्डल में स्थित होकर प्रार्थी का नाम भूराउर्फ भवेर के बजाय भूरसिंह पुत्र जीवन सिंह राव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाना चाहते हैं, जिसकी ताईद प्रस्तुत आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता पासबुक आदि की फोटो प्रति एवं ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। इसी के आधार पर प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में नाम सही अंकित करवाना चाहते हैं। तहसीलदार माण्डल द्वारा प्राप्त रिपोर्ट में भी नाम सुहीकरण करने की रिपोर्ट में अनुशंसा की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्राप्ता की सिद्ध कराने में सफल रहने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

∴ आदेश ∴

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LRA में तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम आवलास पटवार हल्का आवलास तहसील माण्डल में स्थित खाता सं० 325 में अंकित आराजी नम्बर 2271, 2272, 2273, 2274, 2275 कुल कितना 05 रकबा कुल 1.087 हैक्टर एवं खाता संख्या 649 में अंकित आराजी नम्बर 2280 रकबा 0.0253 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदार भूराउर्फ भवेर के बजाय भूरसिंह पुत्र जीवन सिंह राव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए लिखा जावे। पत्रावली फेसल सुमार लेकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
माण्डल